न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर ①

पीठासीन अधिकारी

मुनिदेव यादव (RAS)

प्रकरण संख्या - 4/20

दायर दिनांक 24.03.21

1. रवमी पत्नि रामचरन] आते जाटव ग्राम मालपुर
2. अंगन्ती पत्नि खूबी] तहसील - भुसावर

----- अपीलान्ट

बनाम

ग्राम पंचायत रणधीरगढ़ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रणधीरगढ़ पंचायत समिति जिला भरतपुर

---- रेस्पोडेन्स

अपील आदेश विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 499 दिनांक 20.11.2007 ग्राम पंचायत रणधीरगढ़ पंचायत समिति के खसरा नम्बर 170 रकबा 2.08 बिस्वा नया खसरा नम्बर 227 रकबा 0.3900 हे० वाके ग्राम मालपुर (भुसावर)

अधिवक्ता: ① श्री चन्द्र शेखर तिवारी - अपीलान्ट
② श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा - रेस्पो०

निर्णय दिनांक 24.03.21

अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 170 रकबा 2.08 बिस्वा जिसका नया खसरा नम्बर 227 रकबा 0.3900 हे० वाके ग्राम मालपुर तहसील भुसावर में स्थित है उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा अपीलान्ट द्वारा जरिये रजि स्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 6.10.2007 को खरीद की थी। उक्त आराजी के क्रय करने के बाद अपीलान्ट उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करती आ रही है। उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का अपीलान्ट के खरीदने के बाद किसी अन्य व्यक्ति का सम्बन्ध व सरोकार किसी किस्म का नहीं रहा है।

अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर ...

जिसका नया खसरा नम्बर 227 बाके ग्राम मालपुरा का 1/4 हिस्से का नामान्तकरण दिनांक 20.11.2007 को स्वीकार किया गया जिसकी जानकारी अभी हाल में दिनांक 17.07.2020 को हुई। ग्राम पंचायत रणधीरगढ़ के आदेश दिनांक 20.11.2007 के द्वारा 1/2 हिस्से के नामा० स्वीकार करने के बजाय 1/4 हिस्सा का नामा० स्वीकार करने के आदेश से अपीलान्ट के विधिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है!

अतः अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामा० संख्या 499 दिनांक 20.11.2007 ग्राम पंचायत रणधीरगढ़ को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट को 1/4 हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्से के रकबा का नामा० राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की कृपा करें।

अपील अपीलान्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को तलबी जरिये रजिस्टर्ड A.D डाक द्वारा की गई रेस्पो० की ओर से वकालतनामा श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा जवाब ~~मवाब~~ अपील रेस्पो० एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया। नकल अपीलान्ट को दिलाई गई।

हमने अधिवक्तागण उभय पक्ष को सुना गया। तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड जैसे रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 6-10-2007, नकल जमाबन्दी सं. 2074 नकल नामान्तकरण दिनांक 20.11.07, नकल जमाबन्दी 2074, मिलान क्षेत्रफल ग्राम मालपुरा, नकल जमाबन्दी सं. 2059-2062 का अवलोकन किया गया।

हमने वकील अपीलान्ट एवं रेस्पो० को सुना गया अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा रेस्पो० द्वारा अपनी

समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार, की जाती है तथा नामान्तरण संख्या 499 दिनांक 20-11-2007 ग्राम पंचायत रणधीरगढ़ तहसील मुसाफि[illegible] निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मुसाफि[illegible] को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण का भली भांति परीक्षण करें तथा उभय पक्षकारान को सुनें तथा विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]

मुनिदेव य[illegible]
उपजिलाधि[illegible]
मुसाफिर[illegible]